	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–73/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री अशोक ठाकुर एवं अन्य––विक्रेता

प्रति

श्री अरविन्द कुमार ठाकुर––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपरथापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री अशोक ठाकुर, 2. राजेन्द्र ठाकुर, दोनों के पिता–स्व० विश्वनाथ ठाकुर, ग्राम–मोरबे, पोस्ट–मोरबे, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री अरविन्द कुमार ठाकुर, पिता–श्री अक्षय कुमार ठाकुर, ग्राम–मोरबे, पोस्ट–मोरबे, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मझिऑव से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 189/दिनांक 05.04.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, मझिऑव का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेतागण के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के नाई हजाम (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के हजाम (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेतागण प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेतागण के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, मझिऑव के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेतागण 1. श्री अशोक ठाकुर, 2. राजेन्द्र ठाकुर, दोनों के पिता–स्व० विश्वनाथ ठाकुर, ग्राम–मोरबे, पोस्ट–मोरबे, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री अरविन्द कुमार ठाकुर, पिता–श्री अक्षय कुमार ठाकुर, ग्राम–मोरबे, पोस्ट–मोरबे, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
मोरबे	182	पुराना–74 नया–183	पुराना–787 नया–703	1.69½	उ०–जयश्री ठाकुर, द०–नीज विक्रेता, पू०–नीज विक्रेता, प०–नीज क्रेता,
		पुराना–74 नया–183	पुराना–689 नया–704	0.55½	उ०–जगनारायण ठाकुर वो प्रदीप साव, द०–नीज विक्रेता, पू०–नीज क्रेता, प०–सागर यादव वो नीज विक्रेता,
			कुल रकबा:–	2.25	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

13.5.23 13.5.23

अपर समाहर्त्ता, गढ़वा। अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.06.14 18:05:35 +05:30
Location: 192.168.56.160

Scanned with CamScanner